मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक 16-103/2018/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 28.05.2018

प्रति,

डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय,
गुना (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. श्रीमती आराधना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, गुना (म.प्र.)।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक 16-103 /2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 28 .05.2018

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय, स्त्री रोग विशेषज्ञ को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, गुना के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय दिनांक 01.08.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गयी है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, गुना, मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप क्रमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना के पत्र क्रमांक/स्था.वि./2018/2450, दिनांक 08.05.2018 अनुसार आप दिनांक 01.08.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गयी है। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय, गुना में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 01.08.2017 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
संचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिलेखों की सूची ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्था.वि./2018/2450 दिनांक 08.05.2018 के संदर्भ में।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय, स्त्री रोग विशेषज्ञ को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. ....

..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, गुना, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक..... डॉ. श्रीमती आराधना विजयवर्गीय के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

2. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

3. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

.....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक :19-104../2018/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 28 .05.2018

प्रति,

डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय,
गुना (म.प्र.)

विषयः– **कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, गुना (म.प्र.)।**

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक 19-104/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 28.05.2018

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, गुना के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी दिनांक 01.08.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गयी है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. श्रीमती पिकी तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, गुना, मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना के पत्र क्रमांक/स्था.वि./2018/2450, दिनांक 08.05.2018 अनुसार आप दिनांक 01.08.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गयी है। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय, गुना में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 01.08.2017 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिलेखों की सूची ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्था.वि./2018/2450 दिनांक 08.05.2018 के संदर्भ में।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. ....

..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, गुना, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक..... डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

2. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

3. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

.....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, गुना, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक..... डॉ. श्रीमती पिंकी तिवारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

2. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

3. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

.....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : 552/17/मेडि–1/2018/ भोपाल, दिनांक 20.02.2018

प्रति,

डॉ. आर.पी. सिंह
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय, शिवपुरी (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. आर.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, शिवपुरी (म.प्र.) ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक :553 / 17 / मेडि–1 / 2018 / भोपाल, दिनांक 20.02.2018

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी की ओर उनके पत्र क्रमांक / स्था. / वि. / 2018 / 684, दिनांक 09.02.2018 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. आर.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. आर.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, शिवपुरी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. आर.पी. सिंह, दिनांक 09.06.2015 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. आर.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, शिवपुरी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्था./वि./2018/684, दिनांक 09.02.2018 अनुसार आप दिनांक 09.06.2015 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय, शिवपुरी में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, परन्तु आप दिनांक 09.06.2015 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: **अभिलेखों की सूची** ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्था./वि./2018/684, दिनांक 09.02.2018 ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. आर.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. ....

..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, शिवपुरी से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक..... डॉ. आर.पी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–225/2017/3262 भोपाल, दिनांक ~~12.10.2017~~. 23-1-18

प्रति,

डॉ. अंशु दुबे
चिकित्सा अधिकारी, (डी.जी.ओ.)
जिला चिकित्सालय
जिला मुरैना

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. अंशु दुबे, चिकित्सा अधिकारी, (डी.जी.ओ.), जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–226/2017/

दिनांक ~~12.10.2017~~ 23-1-18

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/8792, दिनांक 11.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. अंशु दुबे को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. अंशु दुबे, चिकित्सा अधिकारी, (डी.जी.ओ.), जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. अंशु दुबे दिनांक 22.10.2015 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती हैं ।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गई हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. अंशु दुबे, चिकित्सा अधिकारी, (डी.जी.ओ.), जिला चिकित्सालय के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप क्रमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/8792, दिनांक 11.08.2017 अनुसार आप दिनांक 22.10.2015 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 22.10.2015 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/8792, दिनांक 11.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. अंशु दुबे, चिकित्सा अधिकारी, (डी.जी.ओ.) को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. .....
.....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक ....दिनांक..... डॉ. अंशु दुबे, चिकित्सा अधिकारी, (डी.जी.ओ.) के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

15-16

सचिव/लो स्वा.प.क
दिनांक 24.8.17

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0वि0 / 17 / 8792 मुरैना दिनांक 11-8-17

प्रति,

श्रीमान (कविन्द्र कियावत)
सचिव महोदय
लोक स्वा0 एवं प0क0 विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय- जिला स्तर पर अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ अमले की जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

संदर्भ श्रीमान के ई मेल पत्र कमांक / 1815 / सचिव / लोक स्वा.प.क. / 2017 दिनाक 26.07.17 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयानुसार इस कार्यालय के अधीन अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी श्रीमान के द्वारा प्रदाय प्रोफार्मा प्रपत्र-15 में तैयार कर श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : जानकारी प्रपत्र-एक

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0
मुरैना दिनांक

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 /
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जिला मुरैना ।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0

15-16

प्रपत्र–15

अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित/प्रस्तावित अनुशासनात्क कार्यवाही की जानकारी

क	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पद स्थापना	कब से अनुपस्थिति	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारम्भ हुई है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ करना प्रस्तावित या विचाराधीन है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ0 अंशू दुवे	चिकि0अधिकारी डी.जी.ओ.	जिला चिकि. मुरैना	22.10.15	—	—	—	अना.अनु.
2	डॉ0 नीता वंसेरिया	चिकि0अधिकारी एम.डी.गायनिक	जिला चिकि. मुरैना	20.10.16	—	—	—	अना.अनु.

सिविल सर्जन सह
मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0वि0 / 17 / 8635 मुरैना दिनांक 8-8-17

प्रति,

श्रीमान (कविन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वा0 एवं प0क0 विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

विषय- लम्बे समय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी भेजने बाबत् ।
सन्दर्भ- श्रीमान के कार्यालय के भेजे गये ई मेल पत्र दिनांक जुलाई 2017 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयानुसार इस कार्यालय के अधीन पदस्थ चिकित्सा अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तीन माह से अधिक समय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित है की जानकारी श्रीमान के द्वारा प्रदाय प्रोफार्मा मे पृथक पृथक पृष्ठ पर तैयार कर जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न- जानकारी प्रपत्र-दो

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 / मुरैना दिनांक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1- श्रीमान स्वास्थ्य आयुक्त महोदय संचालनालय स्वा0सेवायें म0प्र0 भोपाल ।
2- श्रीमान क्षेत्रीय संचालक स्वा0 सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर
3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जिला मुरैना ।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों / चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी का नाम डॉ० अंशु दुबे
2. पदनाम चिकित्सा अधिकारी
3. अंतिम पदस्थापना जहॉ से अनुपस्थित हैं (पूर्ण विवरण के साथ) मनो०अस्प० दिनांक 22/10/2015 से सिविल जिला चिकित्सालय मुरैना
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ / आपात / संविदा / एन.एच.एम.संविदा / म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित) लोक सेवा आयोग (पात्रता)
5. नियुक्ति का दिनॉक 30/07/2011
6. शासकीय सेवा में ज्वाईनिंग की तिथि 30/07/2011
7. स्थाईकरण का दिनॉक नील
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, 15600-39100+5400
किस वेतनमान में कमोन्नत हुए —
कनिष्ट / वरिष्ठ / प्रवर / कनिष्ठ
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
9 सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थाई पता दुबे कालिज होम शिन्दे की छावनी ग्वालियर
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो) दुबे कालिज होम के पास गोपालपुरा मुरैना
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद / अवकाश का आवेदन देने के बाद से) अवकाश आवेदन देने के बाद
12. इनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए) पूर्व में अना० अनु० के कारण दिनांक 01/08/12 से 14/10/15 तक की अवधि शासन द्वारा डाइसनोन की गई है
13 पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंर्तगत कोई दंड दिया गया हो तो उसका विवरण 01/08/12 से 14/10/15 तक की अवधि डाइसनोन
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित किया गया है। अनाधिकृत अनुपस्थित अधिकारी के दौरान वर्तमान गतिविधि के संबंध में विवरण (यदि ज्ञात हो) —

सिविल सर्जन सह
अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय

हस्ता०

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि. / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि– 227/2017/3263 भोपाल, दिनांक ~~12.10.2017~~. 23-1-18

प्रति,

डॉ. नीता बंसेरिया
चिकित्सा अधिकारी, (एम.डी. गायनिक)
जिला चिकित्सालय
जिला मुरैना

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, (एम.डी. गायनिक), जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–228 / 2017 / 3263

दिनांक ~~12.10.2017~~ 23.1.18

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त / 2017 / 8792, दिनांक 11.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. नीता बंसेरिया को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, (एम.डी. गायनिक), जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. नीता बंसेरिया दिनांक 20.10.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती हैं ।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गई हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, (एम.डी. गायनिक), जिला चिकित्सालय के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/8792, दिनांक 11.08.2017 अनुसार आप दिनांक 20.10.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 20.10.2016 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गई।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/8792, दिनांक 11.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, (एम.डी. गायनिक) को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. .....
.....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, जिला मुरैना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक ....दिनांक..... डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, (एम.डी. गायनिक) के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

15-16

/सचिव/लो स्वा.प.क
दिनांक 24.8.17

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0वि0 / 17 / 8792 मुरैना दिनांक 11-8-17

प्रति,

श्रीमान (कविन्द्र कियावत)
सचिव महोदय
लोक स्वा0 एवं प0क0 विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय- जिला स्तर पर अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ अमले की जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

संदर्भ- श्रीमान के ई मेल पत्र क्रमांक / 1815 / सचिव / लोक स्वा.प.क. / 2017 दिनांक 28.07.17 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयानुसार इस कार्यालय के अधीन अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी श्रीमान के द्वारा प्रदाय प्रोफार्मा प्रपत्र-15 में तैयार कर श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न- जानकारी प्रपत्र-एक

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0
मुरैना दिनांक

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 /
अतिरिक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जिला मुरैना ।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0

15-16

प्रपत्र–15

अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित/प्रस्तावित अनुशासनात्क कार्यवाही की जानकारी

क	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पद स्थापना	कब से अनुपस्थिति	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारम्भ हुई है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ करना प्रस्तावित या विचाराधीन है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ0 अंशू दुवे	चिकि0अधिकारी डी.जी.ओ.	जिला चिकि. मुरैना	22.10.15	–	–	–	अना.अनु.
2	डॉ0 नीता वंसेरिया	चिकि0अधिकारी एम.डी.गायनिक	जिला चिकि. मुरैना	20.10.16	–	–	–	अना.अनु.

सिंघल तर्जन सह
जिला अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0वि0 / 17 / 8635 मुरैना दिनांक 8-8-17

प्रति,

श्रीमान (कविन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वा0 एवं प0क0 विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

विषय- लम्बे समय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी भेजने बाबत् ।
संदर्भ- श्रीमान के कार्यालय के भेजे गये ई मेल पत्र दिनांक जुलाई 2017 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयानुसार इस कार्यालय के अधीन पदस्थ चिकित्सा अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तीन माह से अधिक समय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित है की जानकारी श्रीमान के द्वारा प्रदाय प्रोफार्मा मे पृथक पृथक पृष्ठ पर तैयार कर जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न- जानकारी प्रपत्र-दो

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 / मुरैना दिनांक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1- श्रीमान स्वास्थ्य आयुक्त महोदय संचालनालय स्वा0सेवायें म0प्र0 भोपाल ।
2- श्रीमान क्षेत्रीय संचालक स्वा0 सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर
3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जिला मुरैना ।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों / चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी का नाम ..... डॉ० गीता बंसोरिया
2. पदनाम ..... चिकित्सा अधिकारी
3. अंतिम पदस्थापना जहाँ से अनुपस्थित हैं (पूर्ण विवरण के साथ) ..... अना०अव० के दिनांक 20/10/2016 से निरन्तर जिला चिकित्सालय मुरैना
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ / आपात / संविदा / एन.एच.एम.संविदा / म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित) ..... लोक सेवा आयोग (पा.नि.प्र.)
5. नियुक्ति का दिनॉक 16/10/2015
6. शासकीय सेवा में ज्वाईनिंग की तिथि 16/10/2015
7. स्थाईकरण का दिनॉक ..... नियमित
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, ... 15600-39100+5400
किस वेतनमान में कमोन्नत हुए ..... —
कनिष्ट / वरिष्ठ / प्रवर / ..... मानदेय
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी .....
9 सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थाई पता ..... C/o श्री महेन्द्र सिंह सुहावा जरफा वाली गली नं.
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो) ..... 3- गणेश पुरा मुरैना
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद / अवकाश का आवेदन देने के बाद से) ..... अवकाश आवेदन देने के बाद
12. इनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए) ..... नहीं
13 पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंर्तगत कोई दंड दिया गया हो तो उसका विवरण ..... नहीं
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित किया गया है। अनाधिकृत अनुपस्थित अधिकारी के दौरान वर्तमान गतिविधि के संबंध में विवरण (यदि ज्ञात हो) 10/2016

हस्ता०
सिविल सर्जन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय मुरैना

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि. / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–223/2017/3233 भोपाल, दिनांक ~~13.10.2017~~.
23-1-18

प्रति,

डॉ. शरदचंद्र टांटिया
मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़
जिला गुना

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. शरदचंद्र टांटिया, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़, जिला गुना ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेंजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–224/2017/3233 दिनांक ~~13.10.2017~~ 23/11/18

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/15264, दिनांक 05.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. शरदचंद्र टांटिया को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. शरदचंद्र टांटिया, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़, जिला गुना के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. शरदचंद्र टांटिया दिनांक 30.06.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते है।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. शरदचंद्र टांटिया, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप क्रमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/15264, दिनांक 05.08.2017 अनुसार आप दिनांक 30.06.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे , परन्तु आप दिनांक 30.06.2016 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त / 2017 / 15264, दिनांक 05.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. शरदचंद्र टांटिया, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़, जिला गुना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. .....
.....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़, जिला गुना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक .....
.....दिनांक.....
डॉ. शरदचंद्र टांटिया, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

46-47

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म0प्र0

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 / 15264 **गुना, दिनांक** 05-8-17

प्रति,

सचिव महोदय,
म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल ।

विषय– लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सन्दर्भ– श्रीमान के पत्र क्रमांक 1815 / सचिव / लोस्वापक / 2017 दिनांक 28.07.2017.

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र के द्वारा लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर चाही गई है । अतःपत्र के संलग्न जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है ।

संलग्न –प्रारूप एक ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना म0प्र0

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 / 15265-66 **गुना, दिनांक** 05-8-17

प्रतिलिपि–:

1. स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल ।
2. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना म0प्र0

46-47

अनाधिकृत रूप अनुपस्थित विशेषज्ञों /चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित /प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

स.के	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पदस्थापना	कब से अनुपस्थित	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारम्भ हुई है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारम्भ करना प्रस्तावित या विचाराधीन है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डा. शरदचन्द्र टांटिया	सी.बी.एम.ओ.	सामु.स्वा.के. राघोगढ़	30.06.2016 से सेवा निवृत	6/7/2016	–	स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल की ओर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।	
2	डा. लक्ष्मी कुमार	चिकित्सा अधिकारी	सामु.स्वा.के. राघोगढ़	23-06-2017	–	–	उच्च शिक्षा (अस्पताल प्रबंधन) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु चयन उपरान्त,स्वास्थ्य आयुक्त की ओर अनुमति हेतु पत्र देकर बगैर अनुमति प्राप्त किये जबलपुर उच्च अध्ययन हेतु दिनांक 23.06.2016 सं चले गये हैं	

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-गुना (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–221/2017/3239 भोपाल, दिनांक ~~13.10.2017~~. 23.1.18

प्रति,

डॉ. लक्ष्मी कुमार
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़
जिला गुना

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. लक्ष्मी कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ , जिला गुना ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–222/2017/3239

दिनांक ~~13.10.2017~~ 23.1.18

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/15264, दिनांक 05.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. लक्ष्मी कुमार को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. लक्ष्मी कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ , जिला गुना के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. लक्ष्मी कुमार दिनांक 23.06.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती हैं ।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गई हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. लक्ष्मी कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/15264, दिनांक 05.08.2017 अनुसार आप दिनांक 23.06.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 23.06.2017 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गई।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त / 2017 / 15264, दिनांक 05.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. लक्ष्मी कुमार, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ , जिला गुना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. ....

(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघौगढ़ , जिला गुना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक .....
.....दिनांक.....
डॉ. लक्ष्मी कुमार, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

10

46-47

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म0प्र0

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 / 15264 **गुना, दिनांक** 05-8-17

प्रति,

सचिव महोदय,
म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल ।

विषय– लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सन्दर्भ– श्रीमान के पत्र क्रमांक 1815 / सचिव / लोस्वापक / 2017 दिनांक 28.07.2017.

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र के द्वारा लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर चाही गई है । अतःपत्र के संलग्न जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है ।

संलग्न –प्रारूप एक ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना म0प्र0

क्रमांक / स्था0वि0 / 2017 / 15265-66 **गुना, दिनांक** 05-8-17

प्रतिलिपि–:

1. स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल ।
2. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना म0प्र0

Estt. Guna

46-47

अनाधिकृत रूप अनुपस्थित विशेषज्ञों /चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित /प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

स.के	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पदस्थापना	कब से अनुपस्थित	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारम्भ हुई है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारम्भ करना प्रस्तावित या विचाराधीन है तो कब से	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डा. शरदचन्द्र टांटिया	सी.बी.एम.ओ.	सामु.स्वा.के. राघोगढ़	30.06.2016 से सेवा निवृत	6/7/2016	–	स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल की ओर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।	
2	डा. लक्ष्मी कुमार	चिकित्सा अधिकारी	सामु.स्वा.के. राघोगढ़	23-06-2017	–	–	उच्च शिक्षा (अस्पताल प्रबंधन) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हेतु चयन उपरान्त,स्वास्थ्य आयुक्त की ओर अनुमति हेतु पत्र देकर बगैर अनुमति प्राप्त किये जबलपुर उच्च अध्ययन हेतु दिनांक 23.06.2016 से चले गये हैं	

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-गुना (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–217/2018/253 भोपाल, दिनांक 23.01.2018

प्रति,

डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवई
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवई जिला ग्वालियर ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक : मेडि–218 / 2018 / 255 भोपाल, दिनांक 23 .01.2018

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर की ओर उनके पत्र क्रमांक / स्थापना / 2017 / 29588–90, दिनांक 08.09.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवई जिला ग्वालियर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. रामेश्वरण शरण गुप्ता, दिनांक 01.05.2010 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवई जिला ग्वालियर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक/स्थापना/2017/29588–90, दिनांक 08.09.2017 अनुसार आप दिनांक 01.05.2010 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवई जिला ग्वालियर में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, परन्तु आप दिनांक 01.05.2010 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर का पत्र क्रमांक / स्थापना / 2017 / 29588–90, दिनांक 08.09.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. ....

..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवई जिला ग्वालियर से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक .....

.....दिनांक.....

डॉ. रामेश्वर शरण गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–229/2017/3253 भोपाल, दिनांक ~~13.10.2017~~ 23-1-18

प्रति,

डॉ. रश्मि उपाध्याय
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय
जिला भिण्ड

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय , जिला भिण्ड ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–230/2017/3253

दिनांक ~~13.10.2017~~ 23.1.18

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/3842–47, दिनांक 04.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. रश्मि उपाध्याय को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय , जिला भिण्ड के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. रश्मि उपाध्याय दिनांक 03.04.2014 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती हैं ।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गई हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/3842–47, दिनांक 04.08.2017 अनुसार आप दिनांक 03.04.2014 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 03.04.2014 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गई।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त / 2017 / 3842–47, दिनांक 04.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय जिला चिकित्सालय , जिला भिण्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. .....
.....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय , जिला भिण्ड से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .....
.....दिनांक..... डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

(38)

कार्यालय
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला भिण्ड (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0विज्ञ0 / 2017 / 3842-47 भिण्ड दिनांक 4 / 8 / 2017

प्रति,

160 /सचिव/लो स्वा.प.क
दिनांक 8.8.17

श्री कविन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय
म0प्र0 शासन, वल्लभ भवन – भोपाल ।

विषय :– लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संदर्भ :– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, म0प्र0 शासन भोपाल का पत्र क्रमांक निल दिनांक निल ।

------0------

आदरणीय महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमान् जी द्वारा संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों के पालन में जिला चिकित्सालय भिण्ड से अनुपस्थित डॉ0 श्रीमती रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जो कि दिनांक 3/3/2014 से 2/4/2014 तक 29 दिवस का आवेदन दिया गया था, जिसे स्वीकृत किया गया था, किंतु वे अवकाश पश्चात अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुई, जिसकी जानकारी संलग्न प्राप्त हुए निर्धारित प्रारूप में इस पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न / प्रारूप–1

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला भिण्ड (म0प्र0)

पृ0क्रमांक / स्था0विज्ञ0 / 2017 / भिण्ड दिनांक /8/17

प्रतिलिपि / –

1– श्रीमान् आयुक्त महोदय, स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल ।
2– श्रीमान् मिशन संचालक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बैंक ऑफ इंण्डिया भोपाल ।
3– श्रीमान् संचालक महोदय (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल ।
4– श्रीमान् क्षैत्रीय संचालक महोदय, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर ।
5– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड ।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(38)

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों / चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी का नाम — Dr. Smt RASHMI UPADHAI
2. पदनाम — MEDICAL OFFICER
3. अंतिम पदस्थापना जहॉ से अनुपस्थित हैं (पूर्ण विवरण के साथ) — DISH. HOSPITAL BHIND (M.P.)
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ / आपात / संविदा / एन.एच.एम.संविदा / म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित) — M.P. PSC
5. नियुक्ति का दिनॉक — 04-04-2008
6. शासकीय सेवा में ज्वाईनिंग की तिथि — 04-04-2008
7. स्थाईकरण का दिनॉक — NIL
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, — 15600-39100+5400
   किस वेतनमान में क्रमोन्नत हुए — NIL
   कनिष्ट / वरिष्ठ / प्रवर / वरिष्ठ प्रवर श्रेणी — NIL
9. सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थाई पता — Ward No. 22, Civil Line Tikamgarh (M.P.)
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो) — C/o Dr. Prabhat Upadhai, Ganesh Colony, Barua Nagar Bhind (M.P.)
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद / अवकाश का आवेदन देने के बाद से) — 3/5/2014 से 2/4/2014 तक = 29 दिन (अवकाश स्वीकृत के बाद से)
12. इनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए) — NIL
13. पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंर्तगत कोई दंड दिया गया हो तो उसका विवरण — NIL
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित किया गया है। अनाधिकृत अनुपस्थित अधिकारी के दौरान वर्तमान गतिविधि के संबंध में विवरण (यदि ज्ञात हो) — अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के संबंध में पत्र जारी किया।

Civil Surgeon Cum Hospital Supdtt.
District-Bhind (M.P.)

हस्ता0

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि. / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक